संख्या-4/2023/404994/60-1099/79/2022

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 13 फरवरी**, 2023

विषय:- श्री विनय कुमार, जिला परिवीक्षा अधिकारी, कुशीनगर की भारतीय नौसेना में की गयी सेवा को वर्तमान सेवा में जोड़े जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण के पत्र संख्या–674/निदे0म0क0/स्था0-2022-23, दिनांक 15.06.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री विनय कुमार, जिला परिवीक्षा अधिकारी, कुशीनगर की भारतीय नौसेना में की गयी सेवा को वर्तमान सेवा में जोड़े जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– सूच्य है कि केन्द्रीय सिविल पेंशनर्स के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 04-11-2013 तक अद्यतन "FAQ" में शीर्षक "Qualifying Service (अर्हकारी सेवा(" के अन्तर्गत बिन्दु.बी–2 तथा उसके सम्बन्ध में उल्लिखित समाधान निम्नवत् है– :

> "B.2 Is the benefit of counting of past service under Rule-19 available to ex- serviceman re-employed to civil service/post ?
>
> An ex-serviceman re-employed to Civil Post/service on or before 31/12/2003 is covered under the CCS (Pension) Rules, 1972. Therefore the benefit of Rule-19 also becomes automatically available to him. An ex-serviceman re-employed to civil service on or after 1/1/2004 is covered by the New Pension Scheme and is not covered under the CCS (Pension) Rules, 1972. Therefore the benefit of Rule-19 is not available to the ex-serviceman on re-employment on or after 1/1/2004."

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल पेंशनर्स के सम्बन्ध में स्पष्ट की गयी उपरोक्त स्थिति के अनुसार श्री विनय कुमार की राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति दिनांक 01-04-2005 के उपरान्त हुयी है। श्री विनय कुमार की सैन्य सेवा में अधिवर्षता आयु पूर्ण हो जाने के उपरान्त उनकी सैन्य सेवा को राज्य सरकार की सेवा में जोड़े जाने का अवसर नहीं है। अतः राज्य सरकार के अधीन उनकी सेवाएँ एन0 पी0 एस0 से आच्छादित होंगी।

कृपया उपर्युक्त के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।